

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

₹.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AE 878370

कार्यालय

निबन्धक गौतमबुद्धनगर

जनपद-गौतमबुद्धनगर (2090)

नकल संख्या:- 9235/2024

नकल जारी करने की तिथि:-

विलेख पर अदा स्ताम्प:- 160000

विलेख की सत्यापित छायाप्रति इस

1-एन के साथ संलग्न है।

W

क्र. सं. 06 स्टाफ विक्रेता की सेवा

स्टाफ को करने का प्रयोजन

स्टाफ क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाफ की धनराशि 18/

विजय पाल सिंह स्टाफ विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 44/2004-11/ अर्थात् 31-03-2025

सब रजिस्ट्रार कार्यालय, ग्रेटर नोएडा

चिक्की सीमा 15000/

22 JUL 2024

कोरुन्दु

11 अगस्त 2024

राजेश्वर



3492/09

5/11/09

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



₹. 15000

पंद्रह हजार रुपये



FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बिना पलेख

31571



ATUL K. RAWAL  
Advocate & Attorney Public  
Bulandshahr (Uttar Pradesh)



ATUL K. RAWAL  
Advocate & Attorney Public  
Bulandshahr (Uttar Pradesh)

2/12

30/5/193

357  
372

जसवीर

Signature and official stamp of the court

56  
9 NOV 2009  
S.S.S.  
11th Div



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु 1000

Rs 1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

श्री गंगा नगर, 320,000

H 572117

जयवन्त



✓

629  
639  
9/NOV 2009  
शामिल  
रोकडिया  
\* कोषागार/गौतम बुद्ध नगर \*

320,000.00/ 220,000.00 विक्रय पत्र 5,000.00 20 5,020.00 1,000  
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लाभग

प्रतिफल मालियत  
श्री/श्रीमती जसवन्त  
पुत्र/पत्नी श्री. सुरजा  
पेशा कृषि  
निवासी स्थायी ग्राम आच्छेपुर जिला गौतमबुद्धनगर  
अस्थायी पता ग्राम आच्छेपुर जिला गौतमबुद्धनगर  
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 11/11/2009 सन्ध 5:49PM  
द्वजे निबन्धन हेतु पेश किया।




राजेश तिवारी  
उप निबन्धक गौतमबुद्धनगर  
सदर  
11/11/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि ल प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता  
श्री/श्रीमती जसवन्त  
पुत्र/पत्नी श्री सुरजा  
पेशा कृषि  
निवासी ग्राम आच्छेपुर जिला गौतमबुद्धनगर



क्रेता  
श्री/श्रीमती यमुना एक्सप्रेस-वे औडिओप्राडारा मनगोहन  
रहाय भटनगार  
पुत्र/पत्नी श्री  
शा नौकरी  
निवासी यमुना एक्सप्रेस-वे औडिओप्राडारा बीटा ग्रेटर  
नौएड



## विक्रय प्रलेख

भूमि का मूल्य: 3,20,000

स्टाम्प शुल्क 16,000

यह विक्रय प्रलेख आज दिनांक 11/11/2008 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल ऐरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा 6 में दिये गये उपबन्धों तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 23वीं बैठक दिनांक 24.07.08 के मद संख्या 8 (ii) व 24वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18.09.08 की मद संख्या 9 (i) में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। उक्त बोर्ड बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अपने अधिसूचित क्षेत्र में विकास हेतु आवश्यक भूमि को समझौते के आधार पर क्रय करने की अधिकारिता है और इस अधिकारिता के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण विक्रेतागण से इस विक्रय प्रलेख में वर्णित भूमि क्रय कर रहा है।

प्रथम पक्ष/ विक्रेतागण - श्री जसवन्त पुत्र सुरजा नि0 ग्राम आच्छेपुर, तह0 सदर  
जिला गौतमबुद्धनगर।

एवं

द्वितीय पक्ष / क्रेता- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर द्वारा  
अधिकृत नायब तहसीलदार श्री मनमोहन सहाय भटनागर, नायब तहसीलदार।

जसवन्त

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक  
विकास प्राधिकरण

ने विषयानुसार स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री चन्दर सिंह  
पुत्र श्री चतर सिंह  
पेशा कृषि


निवासी ग्राम आछेपुर जी०बी०नगर  
व श्री ओमकुमार  
पुत्र श्री शीशपाल  
पेशा कृषि  
निवासी ग्राम आछेपुर जी०बी०नगर

ने की।

पत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



श्रीधर निवारी  
उप निबन्धक गौ०बुद्धनगर  
सर  
11/11/2009



यह कि

1. हम प्रथम पक्ष / विक्रेता ग्राम निलौनी शाहपुर तहसील सदर, जिला गौतमबुद्धनगर के खाला संख्या 273 खसरा संख्या 1351 कुल क्षेत्रफल 0.0400 है 0 मूमि के स्वामी है तथा उक्त मूमि का निर्वाह स्वामित्व प्रथम पक्ष के पास है एवं उक्त मूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचारधीन नहीं है।

2 प्रथम पक्ष/विक्रेता ग्राम निलौनी शाहपुर तहसील सदर, जिला गौतमबुद्धनगर के खाला संख्या 273 खसरा संख्या 1351 कुल क्षेत्रफल 0.0400 मूमि का विक्रय द्वितीय पक्ष/क्रेता को रु 800 प्रति वर्गमीटर की दर पर कुल रु 3,20,000/- के प्रतिकूल पर सहमत है/है एवं द्वितीय पक्ष इस मूमि को क्रय करने को इच्छुक है।

3. प्रथम पक्ष ने विक्रय की जाने वाली मूमि की सम्पूर्ण विक्रय धनराशि रुपये 3,20,000/-

(तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र) द्वितीय पक्ष से आज दिनांक 11/11/2022 को रेखांकित बैंक सं 777356 धनराशि 3,20,000/- अरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, गेटर नौएडा दिनांक 06.11.09 द्वारा प्राप्त कर ली है। समझौते के अधीन दी गयी मूमि पर चूंकि आज की तिथि में लागू दर से प्रतिकूल प्राप्त किया गया है इसलिए द्वितीय पक्ष पर प्रथम पक्ष के किसी ब्याज आदि की देयता शेष नहीं है। इस प्रकार आज की तिथि के पश्चात विक्रेता के पक्ष में कोई धनराशि गुप्तानन हेतु शेष नहीं है।

4. दोनों पक्ष इस विक्रय-प्रलेख को निष्पादित करने एवं नियमानुसार पंजीकृत कराने को इच्छुक एवं सहमत है।

1-11-22

✓

शिकेता

Registration No. 13492 Year 2009 Book No. 1

0101 जसवन्त

सूरजवा

ग्राम आखेरु जिला गीतगबुदतगर

कृषि



5. क्रेता/द्वितीय पक्ष द्वारा क्रय मूल्य पर देय स्टॉम्प शुल्क का नियमानुसार भुगतान कर दिया है। अब यह विक्रय प्रलेख निम्न प्रकार पढा जाये-

6. विक्रय की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क-	ग्राम -	निलौनी शाहपुर
ख-	खाता संख्या -	273
ग-	खसरा संख्या -	1351
घ	कुल क्षेत्रफल -	0.0400 हे०

7. प्रथम पक्ष ने उपरोक्त वर्णित भूमि का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष को दे दिया है।

8. प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि क्षेत्रफल 0.0400 हे० की सम्पूर्ण विक्रय धनराशि 3,20,000/- चैक सं० 777356 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, ग्रेटर नौएडा दिनांक 06.11.09 के माध्यम से द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर ली है।

9. प्रथम पक्ष को यह ज्ञात है कि द्वितीय पक्ष की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम-1976 के तहत क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु की गई है एवं इस विक्रय प्रलेख के द्वारा विक्रय की जा रही भूमि की सार्वजनिक उपयोग एवं सुनियोजित विकास हेतु आवश्यकता है।

10. विक्रय की जाने वाली भूमि पर कोई धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान आदि नहीं है। यह भूमि कृषि योग्य भूमि है तथा किसी भी प्रकार से ग्राम सभा, सीलिंग, भूदान अथवा सरकारी भूमि नहीं है।

11. यह कि विक्रेता उक्त वर्णित भूमि का निर्विवाद संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि प्राधिकरण को विक्रीत करने का सर्वाधिकार प्राप्त है तथा प्रश्नगत भूमि के स्वत्व के संबंध में कोई भी वाद/विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन/योजित नहीं है।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा जो विक्रय धनराशि का भुगतान प्रथम पक्ष को किया गया है वह प्रथम पक्ष की पूर्ण सहमति के उपरान्त किया गया है भविष्य में प्रथम पक्ष एवं उसके

जमेदार

यमुना एक्सप्रेस जॉइन्टवेंचर प्राधिकरण

क्रेता

Registration No. 13492

Year : 2009

Book No. 1

0201 यमुना एक्सप्रेस-वे औडिओ द्वारा मनमोहन सहाय भटनगार

यमुना एक्सप्रेस-वे औडिओ बीटा ग्रेटर नोएडा  
नीकरी



उत्तराधिकारी प्रतिफल के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद किसी भी न्यायालय में योजित नहीं करेंगे। प्रथम पक्ष इस तथ्य से भी सहमत है कि विक्रय की गयी भूमि के सम्बन्ध में जिस विक्रय धनराशि का भुगतान प्रथम पक्ष को किया गया है वह अधिकतम दर के आधार पर किया गया है इसलिए प्रथम पक्ष स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष के पक्ष में यह विक्रय प्रलेख निष्पादित कर रहा है।

13 द्वितीय पक्ष द्वारा दिये जा रहे इस भूमि के मूल्य में समस्त प्रतिफल सम्मिलित है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की निर्धारित नीति के अनुसार मूल काश्तकार को उसकी अर्जित भूमि के बदले आबादी भूमि आवंटित की जाएगी।

14 विक्रय की जाने वाली भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित की जा सकती है और अभिनिर्णय की दर से भूमि की कीमत काफी कम होगी परन्तु भूमि की तत्काल आवश्यकता के कारण यह भूमि बैनामा द्वारा ली जा रही है अतः इस बैनामा का विक्रय मूल्य इस ग्राम की अन्य भूमि जो भविष्य में अर्जित की जायेगी उसके लिए उदाहरणीय (Exampler) नहीं मानी जायेगी।

अतः आज दिनांक 11/11/2025 को कार्यालय उप निबन्धक सदर में, मैं/हम अपनी राजी-खुशी से पूरे होश-हवास में बिना किसी दबाव के एवं स्थिर चित्त की हालत में निम्न साक्षियों के समक्ष, सोच-समझकर, पढ़-सुनकर यह विक्रय प्रलेख तहरीर व तसदीक करता हूँ/करते हैं। आज के बाद मुझे तथा मेरे वारिसान/उत्तराधिकारी को इस विक्रय प्रलेख पर आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

किसी भी न्यायालय में इस विक्रय प्रलेख के विरुद्ध प्रथम पक्ष और उनके वारिसान को कोई भी वाद योजित करने का अधिकार नहीं होगा। विक्रेतागण व उसके वारिसान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समस्त शर्तों से पाबन्द रहेंगे और प्रतिकर अन्य किसी कारण से कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। प्राधिकरण जिस भी रूप में चाहे

(512517.1)


✓



नि. लो. नि. २११३ ~~५२००१~~ ५२००१ ५२००१

बि. लो. नि. २११३

ख. लो. नि. २११३ ५२००१ १३५१ शु. लो. नि. २११३  
०.०४००१



५२००१



५



विक्रीत भूमि का उपभोग व उपयोग कर सकेगा जिसमें विक्रेतागण का कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक:-

विक्रेता/प्रथम पक्ष: श्री जसवन्त पुत्र सुरजा नि० ग्राम आच्छेपुर तह० सदर जिला  
गौतमबुद्धनगर।

क्रेता/द्वितीय पक्ष -

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर द्वारा अधिकृत नायब  
तहसीलदार श्री मनमोहन सहाय भटनागर, नायब तहसीलदार।

साक्षी

नाम व पता

हस्ताक्षर

1. चन्दर सिंह डा. श्री चतर सिंह  
नि० आच्छेपुर, गा० बु० नगर
2. अशोक कुमार डा. श्री शीशपाल  
नि० आच्छेपुर, गा० बु० नगर

चन्दर सिंह  
गौतमबुद्धनगर

बनाम का आलेख पक्षकारों द्वारा स्वयं तैयार किया गया


जसवन्त

आज दिनांक 11/11/2009 को

बही सं 1 जिल्द सं 5193

पृष्ठ सं 357 से 372 पर क्रमांक 13492

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

  
राजेश सिवारी


उप निबन्धक गौ0बुद्धनगर

सदर

11/11/2009

तैयारकर्ता सत्यापित कायाप्रति

मिलानकर्ता

  
उपनिबन्धक  
गौतमबुद्धनगर

